IJCRT.ORG ISSN : 2320-2882

INTERNATIONAL JOURNAL OF CREATIVE RESEARCH THOUGHTS (IJCRT)

An International Open Access, Peer-reviewed, Refereed Journal

सल्तनत कालीन भारत में महिलाओं की स्थिति एक अध्ययन (ऐतिहासिक संदर्भ में)

निक्कू नेहरा, साहूवास, (चरखी दादरी) हरियाणा

सारांश :

समाज में महिलाओं का अपना योगदान होता है। समाज की सभ्यता संस्कृति के साथ परम्परा और भाषा को महिला पुरूष से अधिक जीवंत रखने का कार्य करती है। समाज में व्यवस्थापित संस्कार, कर्म और रीतियों को निभाने में व्रत और उपवास के साथ–साथ पूजा और अर्चना में भी अपनी भूमिका निभाती है और बालक के जन्म से लेकर मृत्यु तक जीवन के सभी प्रकार की सामाजिक मर्यादाओं को बड़ी शिद्दत से निभाती हैं। जन्म के संस्कार हो, विवाह की रस्में हो, मृत्यु की स्थिति हो या शोक सम्बंधी परम्परा हो, नजराना पेश करना हो, सामाजिक व्यवहार हो, बातचीत के तौर–तरीके हों, घरेलू शिष्टाचार हो, सामाजिक पर्दा की व्यवस्था और अनचाही बेटियों के जन्म की बात हो, बाल विवाह हो, एक पत्नी प्रथा हो या फिर विधवा की बात हो महिला को हाशिए पर रखकर नहीं समझा जाता। आर्थिक योगदान में महिला शामिल रही, गुप्तचर परम्परा का निर्वाह खूब किया, कनीज बनकर सेवा में खूब लीन रही, विद्वान बनी, प्रशासक बनी, योद्धा बनी और अपनी बौद्धिक और शारीरिक शक्ति के अनुसार समाज को खूब प्रभावित किया। नारी की स्थिति में वस्त्र और आभूषणों का अपना योगदान है, पति और परिवार का अपना योगदान है, बुद्धिमानी और शिक्षा का अपना योगदान है। इन सबसे ऊपर है इन्होंने समाज को संवारने में जो योगदान रहा और उसको झुठलाना संभव नही है। बात साफ है कि महिला परिवार बनाती है, परिवार से घर बनता है और घर से समाज बनता है और विकास होता है। हर क्षेत्र में महिला के योगदान को स्मरणीय रखा जाता है परन्तु उसकी स्थिति को भुला दिया गया है या गिरा दिया गया है। आज से बहुत पहले वैदिक युग में महिलाएं खूब उन्नति पर थी। धीरे–धीरे स्थिति गिरने लग गयी और मध्य काल तक पतन हो गया। यह शोध इसी के संदर्भ में है।

मूल शब्द :

महिला, स्थिति, जीवन, जगत, समाज, इतिहास, संस्कृति, परम्परा, नजराना, पेशा, हाशिए, गुप्तचर, परम्परा, निर्वाह, शामिल, पतन।

प्रस्तावना :

भारत की पावन संस्कृति में सल्तनत काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आ गयी थी। गौरमयी अतीत किसी भी राष्ट्र के लिए एक आरक्षित और अमूल्य निधि होता है। इस अतीत से आवश्यकतानुसार भविष्य की नींव निर्धारण हेतु परम्पराओं को अपनाया जाता है। हमारे अतीत में समाज में नारी की प्रतिष्ठा और सम्मान युगों–युगों से जीवंत रहा है। वर्तमान काल में महिलाओं की स्थिति में संवैधानिक रूप से और सामाजिक रूप से सुधार हुआ है। अतः नई पीढ़ी को यह बताने की आवश्यकता है कि इस देश में सल्तनत काल में नारी की स्थिति दयनीय थी। इस समाज में आज की नारी की स्थिति से बिल्कुल भिन्न और बिल्कुल पतित। इस स्थिति से कैसे मुक्ति मिली इस विषय पर विचार करें तो यह जानना दुखदाई होगा कि कितना संघर्ष हुआ। इसलिए वर्तमान पीढ़ी को यह भी समझाया जाना जरूरी है कि हमारे नवजागरण के उग्रदूतों ने सामाजिक जागरण और शिक्षा के प्रसार के माध्यम से इस सल्तनत काल की स्थिति को परिवर्तित किया है। वे जानते थे कि नारी और पुरूष दोनों ही मानवीय भावनाओं से सराबोर है और केवल लिंग भेद को छोड़कर सामाजिक स्तर पर समाज हैं। जब तक नारी की परिस्थितियाँ अनुकूल नही होगी तब तक जीवन और समाज में सफलता हासिल नही होती और ना ही विकास होता। सल्तनत काल सामाजिक विषमता को लेकर कोई न कोई शोषण की योजना बनाकर नारी पर थोपी जाती थी। ऐसा करने से मानवीय सिद्धांतों और अधिकारों का हनन किया जाता था और नारी और पुरूष में पृथकतावाद के बीज बोए जाते थे। इसके लिए नारी अपना शोषण करवाकर इस समाज में अपना सामाजिक योगदान देती थी। पुरूष वर्ग ने नारी वर्ग का खूब शारीरिक, मानसिक और सामाजिक शोषण क्रूरता के साथ किया सल्तनत कालीन समाज इस स्थिति को बदलने के स्थान पर अनुकरण करता चला गया व नारी पीसती चली गयी। उसके जीवन की स्वतंत्रता को बंधनों में बांध दिया था। नारी शोषण और बंधन का पर्यायवाची बन गयी थी। यह हर नारी की बात थी यह नारी की दयनीय स्थित किसी कुटुम्ब या पंथ या जाति विशेष में नही थी।[1] स्थिति राजघराने की महिलाओं की हो या वजीर घराने की महिला की हो या सैनिक घराने की महिला की हो या फिर सामान्य या

गरीब वर्ग की महिला की बात हो, सब जगह शोषण और शिकार महिलाओं की नियति बन गयी थी, यह समाज था, यही सल्तनत थी और यही नारी की स्थिति थी।

उद्देश्य :

सल्तनत काल भारतीय इतिहास में भारतीय संस्कृति का विरोध काल माना गया है। ऐसी स्थिति नारी की स्थिति का अध्ययन करना भारतीय समाज और संस्कृति दोनों के बारे में जानना है। साथ ही नारी संस्कृति की रक्षक के रूप में विवेचना की गयी है।[2] समाज के नियमों में नारी का शोषण दुखद। ऐसी स्थिति में नारी की सभी सामाजिक स्थितियों का अध्ययन का उद्देश्य है।

परिकल्पना :

परिकल्पना शोध की महत्त्वपूर्ण प्रक्रिया है। किसी भी शोध प्रक्रिया में परिकल्पना के बिना निष्कर्ष पर नही पहुँचा जा सकता। इस दृष्टि से परिकल्पना के रूप में सल्तनत काल की नारी की स्थिति का अध्ययन किया गया और सल्तनत कालीन सामाजिक नियमों का नारी के जीवन को प्रभावित करने में सकारात्मक प्रभाव कितना रहा।

परीसीमन :

सीमा की दृष्टि से शोध सीमा निर्धारण एक महत्त्वपूर्ण सोमना है। अतः शोध में भारतीय इतिहास में सल्तनत काल (1206 से 1526 शक) को शामिल किया है। इस काल में भारत के इतिहास में पांच वशों की जीवन शैली का भारतीय नारी पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है। गुलाम वंश (1206 से 1290), खिजली वंश (1290 से 1320), तुगलक वंश (1320 से 1414), सैयद वंश (1414 से 1451), लोधी वंश (1451 से 1526) को अध्ययन का आधार बनाया है। इनमें से पहले चार वंश तुर्क थे और अंतिम पांचवा वंश अफगान था।[3]

प्रविधिया :

शोध के संगत परिणाम हेतु जिन तरीकों और शोध प्रणालियों का प्रयोग किया जाता है। उन्हें शोध प्रविधि कहा जाता है। इतिहास विषय अपेक्षाकृत अन्य विषयों से व्यापक ओर वृहत् होता है। इसलिए ऐतिहासिक अनुसंधान विधि इसमें प्रयोग की जाती है। जिसमें सभी प्रकार की शोध क्रियाओं को शामिल किया जाता है।

आँकडा संग्रहण :

प्रस्तुत अध्ययन के लिए ऐतिहासिक अनुसंधान पद्धति को महत्त्व दिया जाता है और इसके लिए प्राथमिक और द्वितीय तक दोनों प्रकार के आँकड़ों को शामिल किया गया है। जिसमें यात्रियों के यात्रा वृतांत और लेख तथा ऐतिहासिक दस्तावेज है।

सल्तनत काल की पूर्व पीठिका एवं नारी स्थिति

सल्तनत काल की पूर्व पीठिका आक्रमण वाली पीठिका रही है। इसमें शंसबानियों ने जो मूलतः गौर प्रदेश के कई छोटे–छोटे सरदार अपने धर्म के प्रति अपनी आस्था का परिचय देते हुए अपना कार्य कर रहे थे कि मुहम्मद गजनवी ने इस बात को और अधिक बढावा दिया। गौर हिन्दुस्तान का वह क्षेत्र है जहाँ से ये लोग हिन्दुस्तान पर आक्रमण करने के लिए आया करते थे। अतः इस्लाम के प्रभाव ने यहाँ दास प्रथा को जन्म दिया और यही से नारी शोषण का कार्य आरम्भ हुआ। गौर में बसने वाले लोग हिन्दुस्तानी न होकर गौरी के साथ आने वाले मुस्लिम आक्रमणकारी थे। गजनी ने जब यहाँ पर आक्रमण किया तो यहाँ करामी सम्प्रदाय का मुहम्मद बिन कराम (869) जो सिजिस्तान का बासिंदा था।[4] किशिंधा के लोगों की जीवन शैली में दिखाई पड़ती हैं। इन्होंने बौध धर्म को इस्लाम में बदलने का कार्य किया और समाज स्त्री को भोग की स्थिति पर जोर दिया। गजनवी और गौरी की लूट के पश्चात यह परम्परा बन गयी थी कि नारी महज प्रयोजन की वस्तु है इसके अतिरिक्त इस दृष्टि से नारी का कोई महत्त्व नही है। यह अलग बात थी कि हिन्दुओं में अभी तक एक पत्नी की प्रथा प्रचलित थी परन्तु मुस्लिम बहु पत्नी की परम्परा को अपने साथ लेकर आए थे। जिसने भारत की स्वयंवर की प्रथा को बिल्कुल बंद करवा दिया और बाल विवाह तथा पर्दा की परम्परा को जन्म दिया था। यहाँ यह बात संगत रहेगी कि यदि कोई स्त्री सुंदर और यौनिक आकर्षण वाली है तो उसके साथ अधेड़ उम्र में विवाह करने को लोग तैयार रहते थे। स्त्री की उम्र पति से बारह वर्ष अधिक हो तो उस विवाह को कानूनी मान्यता नही दी जाती थी। यह भी कहा जा सकता है कि अनचाही बेटियों की परम्परा का आरम्भ भी यही से हो गया था। मुस्लिम औरत की तरह इस युग की हिन्दू औरत भी सिर से पैर तक अपना शरीर ढक कर चलने लग गयी थी। अब यह बात और थी कि उसे प्रत्येक कार्य में उपेक्षा का व्यवहार झेलने को विवश होना पड़ता था। वैदिक वाली स्त्रियाँ अब इतिहास बनकर रह गयी थी, जो भी स्त्री की स्थिति महिला थी, उनको केलव उदाहरणों के रूप सुनाया जाता और व्यवहार उलटा किया जाता था। राक्षस

विवाह का प्रभाव समाज में देखा जाने लगा। सैनिकों और मुस्लिम शासकों को जो भी औरत महिला, बालिका पसंद आती थी, धक्के से उसे उठाकर उससे विवाह कर लेते थे। मानवीय विकृति का युग था। यह इसमें महिला को सम्मान की दृष्टि से देखा जाना काल्पनिक था।

महिलाओं की स्थिति :

वैदिक युग के पश्चात सल्तनत काल की पूर्व पीठिका तक पहुँचते–पहुँचते समाज में महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट आ गयी थी। इस्लाम के भारत आगमन पर हिन्दू परम्पराओं में मोड़ पैदा हुआ और नारी को घर की चारदीवारी में आश्रय मिला। पर्दे की परम्परा का आगाज हो गया था। समुदाय में औरतों को अलग रखने की प्रवृति अपनाई जो आज तक अनवरत है। महिलाओं को अलग लाईन या खिड़की में खड़ा होना इसी परम्परा का निर्वाह करता है। बड़े घराने की औरतों और शाही महलों की औरतों के साथ कार्य के रूप में हिजड़े रखे जाते थे। पालकी में बंद होकर जाना एक बड़ी परम्परा थी जो इस बात को सिद्ध करता है कि समाज में किसी घराने की औरतों हो सभी की स्थिति दयनीय थी। इसका एक उदाहरण यह है कि काबुल के गर्वनर ने अपनी पत्नी को इसलिए छोड़ दिया कि हाथी के पागल हो जाने पर वह हाथी से कूद गई और कूदते समय वह बेपर्दा हो गयी थी।[5]

बेटी का जन्म अब सल्तनत काल में अशुभ हो गया था। इस काल के राजपूत बेटी के जन्म को अभिशाप समझते थे। यह बात समाज में भी लागू की गयी। यदि राजघराने या सामान्य परिवार में बेटी पैदा हो जाती तो उस औरत के साथ बुरा बर्ताव किया जाता था। पुत्र जन्म के समय औरत की वाहवाही होती नेगचार किया जाता, बधाई बाँटी जाती और उत्सव मनाये जाते। आज की भ्रूण हत्या का पाप इसी प्रथा का परिणाम है।

बाल विवाह का अर्थ इसी और संकेत करता है कि बेटी को व्यस्क होने से पूर्व ही उसका विवाह कर दिया जाए। छह से आठ वर्ष से अधिक उम्र की बेटियों का माँ बाप के घर रहना वर्जित किया गया था। बारह वर्ष से अधिक लड़की के विवाह को गैर कानूनी बताया जाता था। कुछ विशेष जातियों में जो बालिकाओं के विवाह जन्म के तुरंत बाद ही कर दिए जाते थे। और विशेष धन दहेज के रूप में दिया जाता था। बाल विवाह तो सरकारी की नीतियों के अनुरूप बंद हो गया परन्तु दहेज का दानव आज भी समाज में देखा जा सकता है। इस परम्परा ने बेमेल विवाह की बुराई को भी जन्म दिया क्योंकि वह

सम्भव नही था कि हर माता–पिता सम्पन्न हो और अपनी बेटी का विवाह धूमधम से करे दहेज की रकम भी दे, कुछ गरीब भी थे उसे दहेज न दे पाने की स्थिति में बेमेल वर के साथ अपनी बेटी ब्याहनी पड़ती थी। बहु विवाह की इस्लामिक परम्परा ने समाज में नारी की स्थिति और अधिक गिरावट पैदा करने का कार्य किया जिससे नारी की प्रतिष्ठा और नारी धर्म दोनों खंड–खंड हुए। यहाँ यह भी कहना संगत होगा कि समाज में माता पिता द्वारा लड़की का पालन किया जाता था, उसकी शादी कर दी जाती थी और उसकी इच्छा का कोई महत्त्व नही रखा जाता था। विवाह के पश्चात जवानी के दिनों में लड़की अपने पति के नियंत्रण में रहती थी और बुढापें में उस नियंत्रण रखने का कार्य उसकी संतान अर्थात उसके लड़के करते थे। पति के नियंत्रण के पश्चात उसको सास के तानाया ही रूप को बर्दाश्त करना पड़ता था। हिन्दू परिवारों में उसे विशेषतः अपनी इच्छा की स्वाह करना था। राजघराने में ऐसा होता था। रजिया का याकुब से प्रेम का विरोध इस प्रकार की परम्परा का कारण था। तीन तलाक की परम्परा ने मुस्लिम महिलाओं के जीवन का खूब प्रभावित किया है। दरबार के सुरा और सुंदरी के प्रभाव ने घर की महिलाओं में आक्रोश की स्थिति पैदा हो गयी। और उनका दांपत्य कटु हो गया था।

यदि कोई विधवा हो जाती थी तो उसका विवाह का कोई परम्परागत विवाह ना किया जाता था। इसके साथ सती प्रथा भी थी जिसमें प्रचलित सती के उदाहरण राजस्थान के ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी देखने को मिलता है। यहाँ तक कि लड़की की सगाई हो जाती थी, फिर भी यदि उसके पति की मृत्यु हो जाती थी तो भी उसको जबरन सतीत्व के लिए उकसाया जाता था। जो स्त्री अपने पति के साथ सती नही होती थी, वो बहुत सताई जाती थी। उनके बाल कटवा कर, उसे बिना श्रृंगार के सफेद वस्त्रों में रहना पड़ता था। कहना संगत था कि लड़की की वधु और विधवा के रूप में जो स्थिति थी, वह अत्यंत दयनीय और अत्यंत खराब थी।[6]

एक रूप में माता के दर्जे को थोड़ा सा सम्मान भी था, यह सम्मान राजपरिवारों की परम्परा में, माता को कोनिर्स और सिजदा करने के लिए जाया करते थे। एक उदाहरण आगे चलकर लिखा भी जाना चाहिए कि महाराणा संग्राम सिंह प्रतिदिन भोजन से पूर्व माता के दर्शन करने के लिए जाया करते थे। यहाँ एक बात और कहनी संगत होगी कि यह स्थान केवल माता को ही नही बल्कि बड़ी बहन या धाई माँ को भी प्राप्त था। यहाँ एक बात और कहनी संगत प्रतीत होती है कि नारी की इतनी दयनीय स्थिति के पश्चात भी

वह समाज में आर्थिक कार्य करती थी और अपना आर्थिक सहयोग भी देती थी। सिलाई, कठाई, बुनाई के साथ अन्य क्षेत्रों में यह उसका सहयोग सराहनीय था। कृषि एवं पशुपालन इसमें मुख्य थे।

उपसंहार :

कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि सल्तनत काल की नारी की स्थित के रूप में उसकी विवशता और दुखद रही है। प्रत्येक स्वरूप में उसने हमेशा पुरूष से शोषण ही करवाया है। इस काल में यह उपभोग की स्थिति बन गयी, और नारी देह की भोग की विषय वस्तु माना गया, उसका शरीर उसके मन और भावना से अलग कर उपभोग के रूप में देखा गया। यह सामान्य वर्ग और शाही वर्ग दोनों की बात है। शाही महलों में हिजड़े का रखना औरत की विश्वासघात की प्रवृति को सिद्ध ही नही करता बल्कि यह सिद्ध करता है कि औरत विश्वास के काबिल ही नही थी।

अस्तु, सल्तनत काल में परिस्थितियों ने परतंत्र बना दिया था। प्रत्येक क्षेत्र में राजनैतिक, सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में ही नही बल्कि बौद्धिक क्षेत्र में नारी प्रभावहीन हो गयी थी। उसका दायरा पुरूषों को सेवा देना और खुश रखने भर का था। यह बहुत ही निराशाजनक था।

संदर्भ सूची :

1. भारती की राजनैतिक एवं प्रशानिक संस्थाएं, पी.एन. चोपड़ा।
2. समाज और धर्म, बी.एन. पुरी
3. सल्तनत का का समाज, डॉ. यशवीर सिंह
4. गौर वंश का इतिहास, राजबीर भाकर
5. अफगान तुर्क, मंगोल का समाज, वीर सिंह राणा
6. भारत का सल्तनत कालीन स्वरूप बी.एन झा